

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 01/20

सन् 2020

आरसीएमएस संख्या 2020/00001

बउनवानी-शफीक पुत्र सिद्धीक मुसलमान निवासी आकाश वाणी के पीछे तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 648/2019 निर्णय
दिनांक 25.10.2019 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री रमेश चन्द गोयल
2. श्री महावीर चौधरी

वकील अपीलान्त
पैरोकार राजस्व

--: निर्णय :-

दिनांक 16.3.2020

अपीलान्त द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 648/2019 में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2019 जिसके द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्त के विरुद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2076 में वाके ग्राम आलनुपर तहसील सवाईमाधोपुर की गै0मु0 नाला की भूमि आराजी ख0न0 419 रकबा 0.03 है0 पर पत्थरो की पक्की दिवार लगाकर अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्त ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जैर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्त ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जाँच नहीं की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जबकि मामलें में वास्तविकता यह है कि ख0न0 419 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 नाला पर अपीलान्त का कभी अतिक्रमण नहीं रहा है बल्कि अपीलान्त का कब्जा ख0न0 416 पर बहुत पुराना है जो ग्राम पंचायत की जमीन है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5.7.2004 को अपीलान्त के पक्ष में जारी किया गया है उक्त पट्टे का दिनांक 27.12.2004 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन करवाया जा चुका है। यह तर्क भी दिया उक्त ख0न0 के पुराने ख0न0 580 जिसमें से हाल ख0न0 416 व 419 एवं कई ख0न0 बने है तथा ख0न0 416 पर कोई नाला नहीं है। अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाकर अपीलान्त के विरुद्ध इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्त अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। जहाँ तक अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधि में सुस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी निर्णय के क्रियान्वयन में मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर अपीलान्त को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा लिये गये इकतरफा बयान

Sw

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

को विधि अनुरूप नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें अपीलान्त को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्त को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.12.2019 को पुलिस वाले वारण्ट लेकर गांव आने पर घर वालों के बताये जाने पर प्राप्त होने पर जानकारी के अनुसार नकल प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र तहसील में प्रस्तुत किया गया व नकल प्राप्त होने पर मुझ अपीलान्त के विरुद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा-5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरवायी जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज कर अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्त ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्त की सुनवायी का जहाँ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्त के नोटिस की अपीलान्त के पोत्र से करवायी गई तामील से हो जाती है, जिसकी पालना में अपीलान्त ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नहीं किया, जिसके आधार पर अपीलान्त को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जैर अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत अपीलान्त को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्त को जारी नोटिस की पुस्त पर अपीलान्त के नाबालिग पोत्र से करवायी गयी तामील से हो जाती है एवं विवादित भूमि पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने की पुष्टि केवल मात्र पटवारी हल्का के बयान के आधार पर नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004 से 2023 के अनुसार साबिक ख0न0 580 की किस्म बंजड दोगम है जिसके वर्तमान ख0न0 416,419 एवं अन्य कई ख0न0 बने हैं। उक्त विवादित भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा 5.7.2004 को अपीलान्त के पक्ष में पट्टा जारी किया है जो उप पंजीयक सवाईमाधोपुर द्वारा पंजीबद्ध भी किया गया है तथा विवादित भूमि को लेकर सिविल न्यायालय में अपीलान्त द्वारा वाद प्रस्तुत किया है जिसमे दिनांक 7.3.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया गया है। इस प्रकार अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपने पक्ष प्रस्तुत अभिलेख से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत का अवसर नहीं दिये जाने की पुष्टि हो जाती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करवाया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्त को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.3.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ०एस०पी०सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

